तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किशोरीलाल बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त) जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/76

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25.07.23

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(11)(1)प्रकोष्ठ/संआज/2023/137 दिनांक 03.03.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण नही दी गई। अपील खारिज कराने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से सम्बन्धित होने व जिसके प्रदान किये जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अड़चन एवं विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका होने से एवं इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(एंच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने से अपीलार्थी को सूचना नही दी गई है। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी के समसंख्यक पत्रांक 9 दिनांक 06.01.2023 द्वारा अपीलार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी ~~खारिज~~ योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर